न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस

प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./47/2019

1. श्रीमति पूरी पत्नि रघुनाथ जाति कुम्हार निवारी गुढाखुर्द तहसील भिनाय जिला अजमेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री कुनणा पुत्र श्री मिश्री जाति भांबी निवारी गुढाखुर्द तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री रामा पुत्र श्री निम्बू जाति दरोगा निवारी गुढाखुर्द तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. श्री बद्री पुत्र श्री चन्द्रा जाति बैरवा निवारी गुढाखुर्द तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. श्री हीरा पुत्र श्री चन्द्र जाति खारोल निवारी गुढाखुर्द तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. राज.सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री धर्मवीर बामनिया (अधिवक्ता प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 21.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा गुढाखुर्द के खसरा नं. 1500 रकबा 0.41 हैं0 किस्म नहरी–01 जो कि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी करवाना चाहती है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 प्रार्थीया की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 5 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीया को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा गुढाखुर्द के खसरा नं. 1500 रकबा 0.41 हैं0 किस्म नहरी–1 प्रार्थीया की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक–देवलियांकलां को 1500/–रूपये(अक्षरे एक हजार पांच सौ रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(संजु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner